



हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला (कांगड़ा) -176213

क्रमांक:हिशिबो(19)संचालन- I (Centre Creation)/2020-12940-12990 दिनांक:-13-02-2020

“अधिसूचना”

अधिसूचित किया जाता है कि बोर्ड की 115वीं बैठक दिनांक 19.11.2019 की मद संख्या:3 के अन्तर्गत बोर्ड ने परीक्षा सृजन हेतु अनिवार्य परीक्षार्थी संख्या मैट्रिक के लिए 70 व जमा दो के लिए 50 में 10 परीक्षार्थियों की कमी करते हुए मैट्रिक के लिए 60 व जमा दो के लिए 40(जनजातीय क्षेत्रों के लिए कमशः 50 व 30)परीक्षार्थी का मापदण्ड निर्धारित किया गया व यदि किसी केन्द्र में परीक्षार्थियों की संख्या उक्त निर्धारित मापदण्ड से कम होती है तो 300 रुपये प्रति कम परीक्षार्थी निर्धारित किया गया था।

विभिन्न परीक्षार्थियों, अभिभावकों व अध्यापकों की ओर से प्राप्त अनुरोध पर माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा परीक्षार्थी हित में पुनर्विचार करते हुए हि0प्र0स्कूल शिक्षा बोर्ड अधिनियम 1968 की धारा 19(3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 300 रुपये की पूर्व निर्धारित दर को कम करते हुए 150 रुपये प्रति कम परीक्षार्थी निर्धारित करने का निर्णय लिया है।

सचिव

पृष्ठांकन:यथोपरि/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशेष निजी सचिव/निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष/सचिव।
2. निदेशक, उच्चतर/प्रारम्भिक शिक्षा, शिमला, हिमाचल प्रदेश।
3. समस्त उप निदेशक, उच्चतर/प्रारम्भिक शिक्षा, हिमाचल प्रदेश।
4. अतिरिक्त सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/सहायक सचिव, स्कूल शिक्षा बोर्ड।
5. लोक सम्पर्क अधिकारी।
6. समस्त अनुभाग अधिकारी/जिला प्रबन्धक, स्कूल शिक्षा बोर्ड।
7. अनुभाग अधिकारी, सामान्य शाखा को इस आशय के साथ प्रेषित है कि वह उपरोक्त निर्णय को बोर्ड की आगामी बैठक में संपुष्टि हेतु प्रस्तुत करें।
8. अनुभाग अधिकारी, आई0टी0 सैल को बोर्ड वेबसाईट पर अपलोड करने वारे।

सचिव

PC No.: 101C DA:437

ज्ञानालोक परिसर, धर्मशाला जिला कांगड़ा(हि0प्र0)-176213
दूरभाष/Tele: 01892-242161
फैक्स/fax: 01892-225419, 222817

Gayanalok Parisar, Dharamshala Distt. Kangra(HP)-176213
अणु डाक/e-mail : hpbosecond1.19@gmail.com
Website : hpbose.org